97

424

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग - 9235 - II - 16

अभ्यावेदन प्रकरण क्रमांक –दो/2016

कुन्दनलाल राजे पुत्र रमनलाल जाटव

अध्यक्ष बाबा साहब डॉ.भीमराव अम्बेडकर

समिति, नगर बदरवास परगना कोलारस

जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

2– अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी ---अनावेदकगण

(अभ्यावेदन आवेदन अंतर्गत राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–1 की कंडिका 18 – आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2014–15 अभ्यावेदन/विविध में पारित आदेश दिनांक 11–8–15 के विरूद्ध)

कृ0पृ030–2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

विविध प्रकरण कमांक 9235-दो/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों या अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-16	यह अभ्यावेदन आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 11/2014-15 अभ्यावेदन/विविध में पारित आदेश दिनांक 11-8-2015 के विरूद्व राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 की कंडिका 18 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है। 2/ आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक एंव मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला के तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक डॉ0भीमराव अम्बेडकर समिति नगर बदरवास के नाम से पंजीयत समिति है जिसके व्दारा नगर पंचायत बदरवास स्थित भूमि सर्वे कमांक 620 रकबा 2.456 हैक्टर में से रकबा 1.777 हैक्टर खुले मैदान को समिति के हित में सार्वजनिक उद्वेश्य से आवंटन की मॉग कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष रखी है। अपर कलेक्टर शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 31/2012-13 अ 59 पंजीबद्व करके अधीनस्थों से जॉच कराई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी कोलारस ने सर्वे कमांक 620 के रकबा 1.777 हैक्टर खुले मैदान को समिति को दिये जाने की अनुसॅशा की है, किन्तु अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 18-2-2013 से अनुविभागीय अधिकारी के प्रस्ताव को अमान्य कर दिया है। अपर कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्व समिति के अध्यक्ष ने आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर	

के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जो प्रकरण कमांक 11/2014-15 पर पंजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 11-8-2015 से निरस्त किया गया है जिसके विरूद्ध यह अभ्यावेदन है। अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में आपत्ति की है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत आयुक्त/अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेशों के विरूद्व राजस्व मण्डल को अपील/अभ्यावेदन में सुनवाई के अधिकार नहीं है इसलिये अभ्यावेदन अमान्य किया जाय।

4/ विचार योग्य है कि क्या राजस्व मण्डल को राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत अपील/निगरानी अथवा अभ्यावेदन सुनने के अधिकार हैं ? माननीय उच्च न्यायालय व्दारा बानमौर सीमेंट वर्क्स लिमि0(मेस.) मुरैना विरूद्व म0प्र0राज्य 2012 रा0नि0 385 में व्यवस्था दी है कि-

Maintainability of appeal- order passed by Revenue Officer under provision of M. P. Reveue Book Circulars- appeal against such order is maintainanble before Board Of Revenue.

राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत विचारित कार्यवाहियों में आयुक्त/अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेशों के विरूद्व अपील/निगरानी/अभ्यावेदन प्रकरणों को सुनने की अधिकारिता राजस्व मण्डल को है। राजस्व मण्डल राजस्व मामलों के निराकरण के लिय मध्य प्रदेश शासन का सर्वोच्य अॅग है जिसके कारण पैनल लायर का तर्क बेबुनियाद है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के कम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति इस प्रकार पाई गई है कि अपर कलेक्टर ने समिति के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जॉच तहसीलदार बदरवास से कराई है तहसीलदार के प्रतिवेदन का अॅश उद्वरण इस प्रकार है :-

1. बदरवास के बार्ड क-7 प0ह0नं0 38 के सर्वे कमांक 620 में बाबा साहव भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पूर्व से स्थापित है

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

विविध प्रकरण कमांक 9235-दो/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ता

इसमें समिति पार्क निर्माण कराना चाहती है ताकि भूमि में पेड़ लगाकर रख रखाव, बाउन्ड्रीवाल आदि का निर्माण किया जा सके।

1. नगर पंचायत से इस्तहार जारी कर अभिमत लिया गया। नगर पंचायत के पत्र कमांक न0परि0/2012 दिनांक 8-6-12 से सर्वे नं. 620 शासन व्दारा अम्बेडकर पार्क को आवंटित की जाती है तो निकाय को कोई आपत्ति नहीं है। पार्क निर्माण की अनुशॅसा की गई है।

2. पटवारी रिपोर्ट अनुसार कलेक्टर शिवपुरी के आदेश दिनांक 14-8-81 के अनुसार भूमि हरियाली प्रोजेक्ट जनपद पंचायत हेतु आरक्षित है । इस भूमि में से रकबा 0.627 है. पर प्राथमिक शाला भवन एंव 0.52 है. पर आंगनवाड़ी केन्द्र है शेष भाग 1.777 है. मौके पर नर्सरी आरक्षित होकर खाली है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बदरवास व्दारा प्रस्तुत अभिमत दिनांक 19-4-2012 इस प्रकार है :-

हरियाली परियोजना बदरवास के लिये भूमि सुरक्षित होने से राजस्व विभाग की है जनपद के स्वामित्व की नहीं होने से यदि शासन व्दारा उक्त भूमि डा0भीमराव अम्बेडकर पार्क अथवा अन्य सार्वजनिक उपयोग हेतु आवंटित की जाती है तो जनपद पंचायत बदरवास को कोई आपत्ति नहीं है।

स्पष्ट है कि भूमि सर्वे कमांक 620 के रकबा 1.777 हैक्टर खुले मैदान के रूप में है एंव उस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पूर्व से स्थापित है। कलेक्टर शिवपुरी के आदेश दिनांक 14-8-81 से भूमि हरियाली प्रोजेक्ट जनपद पंचायत के नाम से खसरे में दर्ज है जनपद पंचायत को बाबा साहब भीमराव

अम्बेडकर समिति को भूमि पार्क हेतु देने में आपत्ति नहीं है। नगर पंचायत के पत्र कमांक न0परि0/2012 दिनांक 8-6-12 से भूमि सर्वे नं. 620 अम्बेडकर पार्क को आवंटित करने में निकाय को कोई आपत्ति नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी कोलारस भी समिति को सर्वे कमांक 620 के रकबा 1.777 हैक्टर खुले मैदान को समिति को दिये जाने की अनुसॅशा कर रहे हैं तब अपर कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष समिति को भूमि सार्वजनिक हित दिये जाने में क्या कमी नजर आई है , अपर कलेक्टर शिवपुरी के आदेश दिनांक 18-2-13 में अंकन नहीं है जिसके कारण अपर कलेक्टर शिवपुरी का आदेश दिनांक 18-2-2013 दोषपूर्ण एंव विसंगतिपूर्ण है जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता? क्योंकि उपरोक्त तथ्यों से सार्वजनिक हित में भूमि सर्वे कमांक 620 के रकबा 1.777 हैक्टर खुले मैदान को समिति को दिये जाने में बैधानिक अड़चन नजर नहीं आती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभ्यावेदन ऑशिकरूप से स्वीकार किया जाकर अपर कलेक्टर शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 31/2012-13 अ-59 में पारित आदेश दिनांक 18-2-13 तथा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 11/2014-15 अभ्यावेदन/विविध में पारित आदेश दिनांक 11-8-2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी की ओर इस आदेश के साथ वापिस किया जाता है कि वह उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में पुर्नविचार करते हुये भूमि आवन्टन वावत् विधिवत् आदेश पारित करें।

सदस्य